दिनांक 28.09.2019
प्रेस विज्ञप्ति 34/19

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा 58वीं उ0प्र0 पुलिस वार्षिक तैराकी एवं क्रासकन्ट्री प्रतियोगिता 2019 के समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया

श्री ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 28.09.2019 को 35वीं वाहिनी पी0ए0सी0 महानगर लखनऊ के तरणताल स्टेडियम में 58वीं उ0प्र0 पुलिस वार्षिक तैराकी एवं क्रासकन्ट्री प्रतियोगिता के समापन समारोह में प्रतियोगिता में सम्मिलित प्रतियोगियों के मार्चपास्ट का मान–प्रणाम ग्रहण किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक पी0ए0सी0 द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 25.09.2019 से प्रारम्भ 58वीं उ0प्र0पुलिस वार्षिक तैराकी एवं क्रासकन्ट्री प्रतियोगिता 2019 के विजेताओं को चल वैजयन्ती प्रदान की गयी तथा प्रतियोगिता में विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया। पी0ए0सी0 पूर्वी जोन के खिलाड़ियों द्वारा सर्वाधिक अंक प्राप्त कर चल वैजयन्ती के विजेता रहे। लखनऊ जोन के राम प्रकाश राणा एवं वाराणसी जोन के दीपक निषाद संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ तैराक रहे।

डाइविंग टीम चैम्पियनशिप

विजेता –पी0ए0सी0 मध्य जोन
उपविजेता –पी0ए0सी0 पश्चिमी जोन

वाटर पोलो टीम चैम्पियनशिप

विजेता –पी0ए0सी0 पूर्वी जोन
उपविजेता –पी0ए0सी0 पश्चिमी जोन

क्रासकन्ट्री टीम चैम्पियनशिप(पुरूष)

विजेता –पी0ए0सी0 पश्चिमी जोन
उपविजेता –बरेली जोन

क्रासकन्ट्री टीम चैम्पियनशिप(महिला)

विजेता –बरेली जोन
उपविजेता –प्रयागराज जोन

तैराकी चैम्पियनशिप

विजेता –पी0ए0सी0 पूर्वी जोन
उपविजेता –पी0ए0सी0 मध्य जोन

सर्वोच्च गोताखोर –कृष्ण कुमार शुक्ला पी0ए0सी0 मध्य जोन

समापन समारोह के अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन, पुलिस महानिरीक्षक पी0ए0सी0 मुख्यालय, सचिव स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड उ0प्र0 एवं पुलिस महानिरीक्षक पी0ए0सी0 मध्य जोन, सेनानायक 35वीं वाहिनी पी0ए0सी0 एवं सेनानायक 32वीं वाहिनी पी0ए0सी0 सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी/ सेवानिवृत्त अधिकारी उपस्थित रहे।

पीएसी पूर्वी जोन

पीएसी पूर्वी जोन

बरेली जोन

एसटीएफ : प्रतियोगी परीक्षाओं में पैसा लेकर धांधली एवं नकल कराने वाले अन्तर्प्रान्तीय गिरोह के सरगना सहित 05 सदस्य गिरफ्तार, 01 करोड़ 25 लाख के चेक बरामद।

दिनांकः 27–09–2019 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की भर्ती में धांधली एवं नकल कराने वाले अन्तर्प्रान्तीय गिरोह के 05 सदस्यों को जनपद प्रयागराज से गिरफ्तार करके उनके कब्जे से परीक्षाओं में नकल कराने से सम्बन्धित भारी संख्या में उपकरण, अभिलेख एवं बड़ी संख्या में विभिन्न धनराशियों के 'चेक' बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– अहमद अली पुत्र स्व0 मो0 आशिक अली नि0 02/04/1974 इटवा पो0 इटवा थाना इटवा जनपद सिद्धार्थ नगर। हाल पता म0नं0 123 शिलाखाना चौराहा तेलियरगंज, जनपद प्रयागराज।

2– अरूण कुमार यादव उर्फ बिहारी पुत्र श्री मदन जी यादव (हे0कां0 उ0प्र0पु0) नि0 लालगंज बैरिया थाना दोकटी, जनपद बलिया, हाल पता बी ब्लाक क्वार्टर नं0 82 थाना खुल्दाबाद, जनपद प्रयागराज।

3– संदीप कुमार यादव पुत्र शिवबहादुर यादव नि0 शिवपुरी कालोनी स्टेशन रोड मिर्जापुर।

4– मु0 सफीउल्लाह अंसारी पुत्र अनवर अली अंसारी नि0 धनछपरा, ब्रम्हपुर बक्सर, बिहार।

5– अमन कुमार सरोज पुत्र रामलखन नि0 गंजिया बहादुरपुर हेतापट्टी थाना झूँसी जनपद प्रयागराज।

बरामदगीः–

1– 07 अदद फुल बांह का 'शर्ट' जिनमें 'इलेक्ट्रानिक डिवाइस फिट' किया हुआ है।

2– 01 अदद 'इलेक्ट्रानिक डिवाइस' मय स्पीकर मय बैटरी।

3– 15 अदद 'डिवाइस बैटरी' (03 खुली हुई व 12 पैक्ड)

4– 37 अदद 'इयरफोन मैगनेट' (25 अदद छोटा व 12 बड़ी)

5– 13 अदद 'थम्ब इम्प्रेसन प्लास्टिक' के पैकिंग में अभ्यर्थियों के नाम सहित।

6– 02 अदद मुहरें (मेडिकल आफीसर सी0एम0ओ0 आफिस, इलाहाबाद व अधि0 अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि कौशाम्बी के नाम की)।

7– 48 अदद 'चेक' विभिन्न बैंको के (01 करोड़ 24 लाख नौ सौ रूपये के 23 चेक भरे हुए तथा 25 'चेक ब्लैंक')

8– 05 अदद आधार कार्ड।

9– 02 अदद मतदाता पहचान पत्र।

10– 04 अदद पेन ड्राइव।

11– 04 अदद वाहन (01 ब्रीजा कार, 01 अपाचे, 01 स्प्लेण्डर व 01 होण्डा एक्टिवा मोटर साइकिल)

12– 10 अदद मोबाइल फोन।

13– 134 अदद एडमिट कार्ड विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की छायाप्रति।

14– 103 अदद मूल प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के।

15– 01 अदद छायाप्रति प्रमाण पत्र एक अभ्यर्थी का।

16– 87 अदद विभिन्न अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र, अंकपत्र, एडमिट कार्ड, बुकलेट मय चेक।

17– 09 अदद एटीएम

18– 03 अदद पैन कार्ड

19– 01 अदद ड्राइविंग लाइसेंस।

20– 01 अदद पोकेट डायरी

21– 135 पेज 'स्क्रीन शाट' अहमद अली के मोबाइल से।

22– नगद रू0 42,100/–

विगत कुछ दिनों से एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश को विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कतिपय शातिर अपराधियों द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से भर्ती हेतु धन लेकर धांधली की जा रही है। इस सम्बन्ध में श्री अमिताभ यश, पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के निर्देशन पर श्री राजीव नारायण मिश्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न ईकाइयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, वाराणसी/प्रयागराज यूनिट के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री नीरज कुमार पाण्डेय एवं पुलिस उपाधीक्षक, श्री नवेन्दु कुमार के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई प्रयागराज के निरीक्षक श्री केशव चन्द्र राय व श्री अतुल कुमार सिंह के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 27–09–2019 को इसी क्रम में प्रयागराज फील्ड इकाई को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आगामी दिनों में 'लोवर सबार्डिनट' वर्ष 2019 के पदो हेतु होने वाली परीक्षा में अवैधानिक रूप से धन प्राप्त कर अभ्यर्थियों को विभिन्न तरीको से पास कराने वाले गिरोह के कुछ सदस्य शिवकुटी थाना क्षेत्र के आलू गोदाम तिराहा, तेलियरगंज के पास एकत्रित होकर कुछ 'प्लानिंग' कर रहे हैं, मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना की पुष्टि अन्य माध्यमों से प्राप्त सूचनाओ से भी होने पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा स्थानीय पुलिस बल को साथ लेकर तत्काल उक्त स्थान पर पहुॅच कर देखा गया तो लाल रंग की मारूति ब्रेजा यूपी–70 ई0यू0 2001 में 05 संदिग्ध व्यक्ति आपस में बातचीत करते हुए दिखे, जिस पर एसटीएफ टीम द्वारा उपरोक्त पांचों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुयी है।

अलग–अलग एवं एक साथ पूछताछ करने पर गिरोह के सरगना अभियुक्त अहमद अली ने बताया कि 'लोवर सबार्डिनेट' वर्ष 2019 की होने वाली आगामी परीक्षा (30 सितम्बर व 01 अक्टूबर–2019) में अभ्यर्थियों को पास कराने हेतु 'इलेक्ट्रानिक डिवाइसों, बैट्री, इयरफोनों, थम्ब इम्प्रेशन' आदि का प्रयोग करने और इस सम्बन्ध में लेन–देन आदि

के बारे में बातचीत करने हेतु हम लोग यहां एकत्रित हुए थे। पूछताछ के क्रम में अहमद अली ने बताया कि वह वर्ष 1992 में प्रथम बार प्रयागराज आया था। आई0आर0टी0 प्रयागराज से 'इन्स्ट्रूमेन्टेंशन' एण्ड कन्ट्रोल विषय में डिप्लोमा करने के पश्चात 'सिविल सर्विसेज' की तैयारी करने लगा, इसी दौरान जगरूप यादव नि0 लखरइया नवाबगंज जनपद प्रयागराज से अहमद अली की मुलाकात हुई। जगरूप यादव विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में 'साल्वर' बैठाने से लेकर भर्ती कराने तक की 'सेटिंग' का काम करता था। चूँकि अहमद अली 'सिविल सेवा' की तैयारी कर रहा था इसलिए जगरूप यादव ने उसको पैसों का लालच देकर 'बी0एड' इत्यादि की परीक्षाओं में 'साल्वर' के रूप में बैठाने लगा। सिविल सेवा की परीक्षाओं में 'सेलेक्शन' न होने तथा 'साल्वर' के रूप में काम करते–करते अहमद अली स्वंय भी जगरूप यादव के साथ मिलकर काम करने लगा। इससे उसको अच्छा पैसा भी मिलने लगा अभियुक्त द्वारा बताई गयी बातों का सत्यापन किया जा रहा है। यह भी बताया कि कुछ समय पश्चात जगरूप यादव की हार्ट अटैक से मौत हो गयी। जगरूप यादव की मौत के पश्चात उसका सारा काम उसके द्वारा देखा जाने लगा तथा उसके द्वारा विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में 'साल्वर' बैठाकर, 'इलेक्ट्रानिक डिवाइसेस' के माध्यम से फर्जीवाड़ा किया जाने लगा।

गैंग के काम करने के तरीके के बारे में पूँछने पर अहमद अली और गिरोह के सदस्यों ने बताया कि सर्वप्रथम गैंग में शामिल व्यक्तियों के माध्यम से 'कैन्डीडेट्स' की व्यवस्था करके उनके 'एडमिट कार्ड' व फोटो को प्राप्त किया जाता है। जो 'कन्डीडेट' गिरोह द्वारा मांगी गई धनराशि उपलब्ध कराने हेतु तैयार हो जाते हैं उनसे वांछित धनराशि का बिना दिनांक के 'चेक' और शैक्षिक अभिलेखों की मूल प्रति परीक्षा से पहले ही ले ली जाती है। अभ्यर्थी के सफल होने की स्थिति में चेक की धनराशि प्राप्त हो जाने के बाद ही अभ्यर्थियों के मूल शैक्षिक अभिलेख उन्हें वापस किये जाते हैं। गैंग में शामिल व्यक्तियों के माध्यम से 'इलेक्ट्रानिक डिवाइसेस' लगी 'शर्ट' अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाती हैं। इन नई 'शर्टो' में 'इलेक्ट्रानिक डिवाइस' जिनमें 'सिम कार्ड' लगाया जा सकता है, इस प्रकार 'फिट' कराया जाती है कि 'सिम' लगने वाली 'डिवाइस' व उससे 'कनेक्टेड वायर' बाहर से दिखाई न पड़े। उक्त 'डिवाइस' कपड़े के अन्दर सिले 'कनेक्टिंग वायर' के जरिए बटननुमा सूक्ष्म 'मैगनेटिक ईयरफोन' के सम्पर्क में रहती है। कान में लगने वाला उक्त 'इयरफोन' बटन से भी छोटे आकार का है और कान के अन्दर जाने पर बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थी द्वारा गिरोह के सदस्यों के सहयोग से चुम्बक के माध्यम से उक्त 'इयरफोन' को बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर बैठे गिरोह के लोग एक बार में 50 'कैन्डीडेट्स' को इस 'डिवाइस' के माध्यम से फोन से 'कनेक्ट' होकर नकल करा सकते हैं। 'डिवाइस' लगी इस प्रकार की एक 'शर्ट' की कीमत लगभग 10 हजार रूपये है, जो दिल्ली से मंगाई जाती है।

उक्त गिरोह द्वारा भर्ती परीक्षाओं में 'साल्वर' के माध्यम से भी परीक्षार्थियों को पास कराने का काम किया जाताा है। इसके लिए पहले से तय 'साल्वर' की फोटो व 'ओरिजनल कैन्डीडेट्स' के फोटो की 'मिक्सिंग' करके नया फोटो तैयार कर 'एडमिट कार्ड' में लगा दिया जाता है। कभी–कभी 'साल्वर' को 'सेटिंग' कर बैठा तो देते हैं और

परीक्षार्थी सफल भी हो जाता है, परन्तु परीक्षा हाल में 'साल्वर' के 'थम्ब इम्प्रेशन' होने के कारण 'फाइनल कैन्डीडेट वेरीफिकेशन' में 'ओरिजनल कैन्डीडेट' का 'थम्ब इम्प्रेशन मैच' नही करता है। इस काम के लिए गिरोह द्वारा कुछ भर्ती परीक्षा केन्द्रों के एकाध कर्मचारियों को भी पैसे का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया जाता है (जैसे आर0आर0सी0 प्रयागराज में कर्मचारी जयसिंह) तथा परीक्षा में बैठे 'साल्वर' का 'थम्ब इम्प्रेशन' बनवाकर 'ओरिजनल कैन्डीडेट' का 'फाइनल वेरीफिकेशन' आसानी से करवा लेते हैं। इस तरह का 'थम्ब इम्प्रेशन' प्रयागराज के एक व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जो प्रति 'थम्ब इम्प्रेशन' 06 हजार रूपया लेता है। गिरोह के सदस्य अरूण यादव का सम्पर्क पटना के महेन्द्रू स्थित म्योर 'हास्टल' (लॉ0 कालेज) के छात्रो से है। इस गिरोह द्वारा अधिकांशतः इसी कालेज से छात्रों को 'साल्वर' के रूप में परीक्षा में बैठाने का काम लिया जाता रहा है। इसके एवज में छात्रों को एक परीक्षा के लिए 20 से 25 हजार रूपये तक मिल जाते हैं। गिरोह द्वारा आपसी बातचीत में 'साल्वर' को 'स्कालर' के नाम से तथा उसके द्वारा कराई जाने वाली नकल को 'स्कालरिंग' के नाम से सम्बोधित किया जाता है। अभियुक्तों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि पूरा गिरोह आगामी 30 सितम्बर व 01 अक्टूबर को आयोजित होने वाली उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 'लोवर सबार्डिनेट्स' 2019 की परीक्षा में ऐसे ही 'साल्वरो' व 'इलेक्ट्रानिक डिवाइसेस' के माध्यम से धांधली करने की पूरी तैयारी मे था। इस सम्बन्ध में विस्तृत छानबीन सत्यापन की कार्यवाही जारी है।

इस सम्बन्ध में थाना शिवकुटी, जनपद–प्रयागराज में मु0अ0सं0 332/2019 धारा 419/420 /467/468/471 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम कार्यवाही थाना शिवकुटी स्तर पर की जा रही है।

<u>जनपद एटा/थाना कोतवाली देहात</u>

- **25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 28.09.2019 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एटा–टूण्डला रोड से निधौलीकलॉ जाने वाले तिराहे से पुरस्कार घोषित अपराधी सलमान को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, हत्या का प्रयास, गैगस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 150/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सलमान निवासी शहबाजपुर थाना निधौलीकलॉ जनपद एटा

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना चरथावल

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 तमंचा 315 बोर, 07 जीवित, 04 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 27.09.2019 की रात्रि थाना चरथावल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिरालसी पुलिस चौकी पर चेकिंग के दौरान थाना भवन जनपद शामली की तरफ से आ रही संदिग्ध मोटर साइकिल को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी आले नवी उर्फ टुईया घायल हो गया, जिसे 01 अन्य बदमाश मौहम्मद नवी सहित गिरफ्तार किया गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 तमंचा 315 बोर, 07 जीवित, 04 खोखा कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त आले नवी उर्फ टुईया के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों में चोरी, हत्या का प्रयास, सी0एस0 एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त जनपद मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 132/2019 धारा 3/5क/8 गौवध अधिनियम व मु0अ0सं0 133/2019 धारा 307 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था। अभियुक्त मो0नवी के विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, सी0एस0 एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 12 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना चरथावल पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. आले नवी उर्फ टुईया निवासी ग्राम निरधना थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर।
2. मो0 नवी निवासी ग्राम निरधना थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1. 02 तमंचा 315 बोर, 07 जीवित, 04 खोखा कारतूस
2. 01 मोटर साइकिल

जनपद सम्भल/थाना गुन्नौर

- **20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **406 पव्वे अपमिश्रिम अवैध शराब**
- **01 देशी रायफल 315 बोर, 10 जीवित कारतूस**
- **01 स्विफ्ट कार व 01 मोटर साइकिल**
- **अपमिश्रित शराब व शराब बनाने की सामग्री व उपकरण आदि बरामद**

दिनांक 27.09.2019 की सांय थाना गुन्नौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जंगल ग्राम करियामई से घेराबंदी कर पुरस्कार घोषित अपराधी किशनपाल को गिरफ्तार किया गया। मौके से 02 अन्य अभियुक्त फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 405 पव्वे अपमिश्रित अवैध शराब, 50 पव्वे खाली, 50 ढक्कन, 16 लीटर अपमिश्रित शराब, कैरोमल कलर 400 एमएल, अपमिश्रित शराब बनाने के उपकरण, 03 किलो यूरिया खाद, शराब के अवैध परिवहन में प्रयुक्त स्विफ्ट कार व मोटर साइकिल बुलेट व 01 देशी रायफल 315 बोर व 10 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के थाना गुन्नौर पर लूट, धोखाधडी, गैंगस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, आबकारी एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के लगभग 10 अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त थाना

गुन्नौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 286/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गुन्नौर पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. किशनपाल निवासी करियामई थाना गुन्नौर जनपद सम्भल।

<u>बरामदगी</u>

1. 405 पव्वे अपमिश्रित अवैध शराब
2. 50 पव्वे खाली, 50 ढक्कन
3. 16 लीटर अपमिश्रित शराब
4. कैरोमल कलर 400 एमएल
5. अपमिश्रित शराब बनाने के उपकरण
6. 03 किलो यूरिया खाद
7. शराब के अवैध परिवहन में प्रयुक्त स्विफ्ट कार व मोटर साइकिल बुलेट व 01 देशी 8. 01 देशी रायफल 315 बोर व 10 जीवित कारतूस आदि

<u>जनपद देवरिया/थाना गौरीबाजार</u>

- **03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 68 लाख रू0 कीमत की 870 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 कंटेनर वाहन**
- **01 होण्डा सिटी कार आदि बरामद**

दिनांक 28.09.2019 को थाना गौरीबाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मझना पुल के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध कंटेर व होण्डा सिटी कार की घेराबंदी कर 03 शातिर अभियुक्तों 1.धर्मपाल, 2.मो0खुर्शीद, 3.कृष्णपाल को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 68 लाख रू0 कीमत की अवैध शराब, 01 कंटेनर वाहन, 01 होण्डा सिटी कार आदि बरामद हुई।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने उक्त बरामद शराब गैर प्रान्त से लाना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना गौरीबाजार पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. धर्मपाल निवासी नर्थला थाना बुटाना जनपद करनाल हरियाणा।
2. मो0 खुर्शीद निवासी स्योहारा थाना सोहरा जनपद बिजनौर।
3. कृष्णपाल निवासी बीरअमी थाना कु0यु0के0 जनपद कुरूक्षेत्र हरियाणा।

बरामदगी

1. लगभग 68 लाख रू0 कीमत की अवैध शराब
2. 01 कंटेनर वाहन
3. 01 होण्डा सिटी कार आदि

जनपद गाजियाबाद/थाना इंदिरापुरम

- **03 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी के 08 चार पहिया वाहन**
- **01 तमंचा 315 बोर मय 02 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 28.09.2019 को थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शिप्रा अंडर पास पर चेकिंग के दौरान 03 शातिर वाहन चोर 1.रोहताश उर्फ राजा उर्फ राजेश, 2.लल्लू खां, 3.बन्ने खां को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी के 08 चार पहिया वाहन, 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर वाहन चोर हैं, जिनमें अभियुक्त रोहताश उर्फ राजा के विरूद्ध दिल्ली व जनपद गाजियाबाद के विभिन्न थानों में वाहन चोरी व आर्म्स एक्ट आदि के 31 अभियोग, अभियुक्त बन्ने के विरूद्ध दिल्ली व जनपद गाजियाबाद के विभिन्न थानों में वाहन चोरी, धोखाधडी, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट

आदि के 11 अभियोग व अभियुक्त लल्लू के विरूद्ध दिल्ली व जनपद गाजियाबाद के विभिन्न थानों में वाहन चोरी, हत्या व आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि उनका वाहन चोरी करने का एक गैंग है, जो दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र में रैकी कर मौका देखकर मुख्यरूप से 04 पहिया वाहनों की चोरी कर, उनकी नम्बर प्लेट बदलकर, ग्राहक मिलने पर वाहनों को बेच देते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने वाहन चोरी आदि की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना इंदिरापुरम पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. रोहताश उर्फ राजा उर्फ राजेश निवासी मोहन गार्डन उत्तम नगर दिल्ली।
2. लल्लू खां निवासी फतेहपुर थाना खैर जिला अलीगढ।
3. बन्ने खां निवासी तकीपुर मेन रोड थाना खैर जनपद अलीगढ।

बरामदगी

1. चोरी के 08 चार पहिया वाहन
2. 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जीवित कारतूस आदि

जनपद बाराबंकी/थाना देवा

- **शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 30 लाख रूपये कीमत की 100 ग्राम अवैध मारफीन बरामद**

दिनांक 28.09.2019 को थाना देवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान थाना देवा क्षेत्रान्तर्गत शातिर अभियुक्त नियाज को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 30 लाख रू0 कीमत की 100 ग्राम अवैध मारफीन बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना देवा पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. नियाज निवासी जमाल कमाल तकिया थाना देवा जनपद बाराबंकी

<u>बरामदगी</u>

1. लगभग 30 लाख रूपये कीमत की 100 ग्राम अवैध मारफीन ।

<u>जनपद मेरठ/थाना किठौर</u>

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **विभिन्न बोर की 03 देशी बन्दूक**
- **विभिन्न बोर के 05 तमंचें**
- **विभिन्न बोर की 10 अर्धनिर्मित रायफल**
- **विभिन्न बोर के अर्धनिर्मित 10 तमंचे**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 28.09.2019 को थाना किठौर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कस्बा शाहजहांपुर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 05 शातिर अभियुक्तों 1.फैमुद्दीन, 2.इमरान, 3.मशीउल्लाह, 4.नवेद, 5.बाबू को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर विभिन्न बोर की 03 देशी बन्दूक, विभिन्न बोर के 05 तमंचें, विभिन्न बोर की 10 अर्धनिर्मित रायफल, विभिन्न बोर के अर्धनिर्मित 10 तमंचे, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना किठोर पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. फैमुद्दीन निवासी बहरामपुर बाढली थाना बाबूगढ जनपद हापुड।
2. इमरान निवासी जिसौरी थाना मुण्डाली जनपद मेरठ।
3. मशीउल्लाह निवासी मोहल्ला चमन खेडा शाहजहांपुर थाना किठौर जनपद मेरठ।
4. नवेद निवासी मोहल्ला चमन शाहजहांपुर थाना किठौर जनपद मेरठ।
5. बाबू निवासी गांव सरावनी थाना बाबूगढ जनपद हापुड।

<u>बरामदगी</u>

1. 01 देशी बन्दूक 12 बोर
2. 02 देशी बन्दूक 315 बोर
3. 04 तमंचें 315 बोर
4. 01 तमंचा 12 बोर

5. 06 अर्धनिर्मित रायफल 12 बोर
6. 04 अर्धनिर्मित रायफल 315 बोर
7. 07 अर्धनिर्मित तमंचें 315 बोर
8. 03 अर्धनिर्मित तमंचें 12 बोर
9. अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि

————